राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

(अपील संख्या–179/2015)

विजय सिंह चौहान **–प्रार्थी–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, शिक्षा (माध्यमिक), जयपुर जॉन, जयपुर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.07.2023

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने अपनी इस अपील में यह कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 20.11.1976 को अध्यापक सह पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर हुई थी। अपीलार्थी का कथन रहा है कि अपीलार्थी को 18 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 29.11.1993 से स्वीकृत किया गया था। उसके पश्चात दिनांक 01.07.1998 से अपीलार्थी का पे–स्केल संशोधित किया गया। इस आदेश में वरिष्ठ वेतनमान गलत अंकित हो गया था, जबकि अपीलार्थी को वरिष्ठ वेतनमान नहीं दिया गया। अपीलार्थी को पुनरीक्षित वेतनमान दिया गया था। बाद में अपीलार्थी को 8 वर्ष की सेवा दिनांक 29.11.2001 से पूर्ण हो जाने से चयनित वेतनमान 29.11.2001 से दिया जाना था। जबकि दिनांक 01.07.2006 से दिया गया, जो कि असंवैधानिक व गैर–कानुनी है। अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि उसे दिनांक 29.11.2001 से चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाये और समस्त परिलाभ भी दिये जाये।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि सेवानिवृत के उपरान्त पुस्तकालयाध्यक्ष के चयनित वेतन की अनुचित मांग कर रहा है, जो कि नियमानुसार उसको देय नहीं है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 07.08.1998 के अनुसार कार्मिक को वरिष्ठ वेतनमान 6500–10500 दिनांक 01.07.1998 से दिया गया है, जो कि उपरोक्त नियम के अनुसार वरिष्ठ वेतनमान की देय तिथि से 08 वर्ष पूर्ण होने पर चयनित वेतन मान 7500–12000 देय है, इसलिये अपीलार्थी को प्रस्तुत दावा तिथि 29.11.2001 से 7500–12000 देय नहीं है।
3. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। इस अपील में अपीलार्थी ने चयनित वेतनमान की मांग दिनांक 29.11.2001 से दिये जाने की मांग की है एवं यह

भी कथन किया है कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.07.2006 से दिया गया है, जो गलत है। इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन रहा है कि वरिष्ठतम वेतनमान की देय तिथि से 8 वर्ष पूर्ण होने पर चेयनित वेतनमान देय है। अपीलार्थी को वरिष्ठ वेतनमान दिनांक 01.07.1998 के 8 वर्ष बाद ही चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है और अपीलार्थी को सही रूप से 8 वर्ष के बाद के दिनांक 01.07.2006 से चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिसूचना दिनांक 10.07.1998 को प्रस्तुत किया गया है, जिस अधिसूचना द्वारा राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतनमान नियम, 1998 लागू किया गया थे। अपीलार्थी को उक्त नियम लागू होने के पश्चात दिनांक 01.07.1998 में वरिष्ठ वेतनमान श्रृंखला 6050–10500 में रखा गया था। नियमों के अनुसार वरिष्ठ वेतनमान श्रृंखला 8 वर्ष पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान दिये जाने का प्रावधान है।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि दिनांक 01.07.1998 से जो वेतनमान अपीलार्थी को प्रदान किया गया है, वह पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान किया गया था और अपीलार्थी का वेतन निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान पर किया गया है। दिनांक 01.07.1998 से वरिष्ठ वेतनमान प्रदान नहीं किया गया है। केवल पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान किया गया है। उनका कथन है कि त्रुटिवश वेतन–श्रृंखला 6500–10500 वरिष्ठ वेतनमान किया गया है, जबकि वह केवल संशोधित वेतनमान था। वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को जो वेतनमान 01.07.1998 से प्रदान किया गया था, वह वरिष्ठ वेतनमान था या केवल संशोधित वेतनमान था, इस बारे में जांच करें एवं यदि प्रत्यर्थी विभाग जांच के पश्चात यह पाती हैं कि अपीलार्थी को 01.07.1998 से वरिष्ठ वेतनमान प्रदान नहीं किया गया था और केवलमात्र संशोधित वेतनमान में स्थिरीकरण किया गया था, तो अपीलार्थी के संबंध में 10/8 वर्षीय चयनित वेतनमान के प्रभावी होने की तिथि को संशोधित करते हुए अपीलार्थी को लाभ किये जावें। उक्त जांच के पश्चात लिखित में पारित किया जाये।

5. इस आदेश की पालना 2 माह में की जावे एवं उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)